इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 जनवरी 2018—पौष 28, शक 1939

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्र. एफ. 7-9-2007-उन्तीस-1.—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पत्र क्रमांक 9-5-/2014-बी.पी. II, दिनांक 1 सितम्बर 2017 के पालन में ''कल्याणकारी एवं हॉस्टल योजना'' के अन्तर्गत खाद्यान्न के आवंटन एवं वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं योजना के सभी लाभार्थियों की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों की पहचान एवं पात्रता के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करता है:—

1. संस्थाओं के चयन की पात्रता :

1.1 वे रहवासी संस्थायें जहां केन्द्रीयकृत भोजन व्यवस्था (मेस) संचालित है, निम्न प्राथमिकता क्रम में चयनित की जायेंगी

(i) शासन के विभागों द्वारा संचालित निम्न संस्थाएं :—

- विभिन्न शैक्षणिक स्तर (माध्यमिक, प्री-मेट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, डिप्लोमा/सर्टिफिकेट, स्नातक, स्नातकोत्तर) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास.
- निराश्रितों, दिव्यांगों, वृद्धों के कल्याण हेतु कार्यरत संस्थाएं.

(ii) राज्य शासन के विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त निम्न गैर शासकीय संस्थाएं:—

- विभिन्न शैक्षणिक स्तर (माध्यमिक, प्री-मेट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, डिप्लोमा/सर्टिफिकेट, स्नातक, स्नातकोत्तर) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास.
- निराश्रितों, दिव्यांगों, वृद्धों के कल्याण हेतु कार्यरत संस्थाएं.

1.2 क्रमांक 1.1 की रहवासी संस्थाओं को खाद्यान्न आपूर्ति हेतु केन्द्र अथवा राज्य शासन से कोई सहायता अथवा अनुदान प्राप्त न हो रहा हो.

1.3 छात्रावास में 2/3 रहवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासरत हो.

2.0 संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया :

2.1 किसी भी शासकीय एवं गैर शासकीय संस्था को इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी हितग्राही रहवासियों का पंजीयन मय समग्र आई. डी. तथा आधार नंबर सहित देना अनिवार्य होगा. यह आवेदन यह आवेदन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन भरना होगा.

2.2 आवेदन प्राप्त होने के उपरांत जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा इसे उस विभाग के जिला अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन प्रेषित किया जावेगा, जिनके क्षेत्राधिकार में संस्थाएं आती हैं. जिले के विभागीय अधिकारी उनके मोबाईल नंबर, ईमेल तथा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पंजीकृत होंगे.

2.3 नियामक विभाग के जिला अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण करेंगे, पंजीकृत हितग्राहियों की जानकारी का सत्यापन करेंगे तथा तदाशय का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र देंगे. वे अपने अभिमत एवं स्पष्ट अनुशंसा के साथ आवेदन परीक्षण कर अग्रेषित करेंगे. यह कार्यवाही भी ऑनलाइन की जावेगी तथा प्रमाण पत्र मोबाईल बेस्ड ओटीपी अथवा डिजिटल हस्ताक्षर आधारित होंगे.

2.4 नियामक विभाग के जिला अधिकारियों की अनुशंसा प्राप्त होने पर जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा कलेक्टर को सूची प्रदाय की जावेगी. दो सदस्यीय अंतर विभागीय निरीक्षण दल का गठन संस्था का मौका निरीक्षण एवं सत्यापन कर, संस्था का औचक निरीक्षण, नवीनतम फोटोग्राफ से पोर्टल पर संस्थाओं की भौगोलिक अवस्थिति तथा निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज कराई जावेगी.

2.5 जिला आपूर्ति अधिकारी/नियंत्रक कलेक्टर के समक्ष ऐसे सभी अनुशंसित एवं सत्यापित संस्थाओं की सूची कलेक्टर के समक्ष राशन कार्ड जारी करने हेतु प्रस्तुत करेंगे.

2.6 संस्था के रहवासियों की संख्या की समीक्षा प्रतिवर्ष जुलाई में की जावेगी.

2.7 कलेक्टर द्वारा राशन कार्ड हेतु प्राथमिकता क्रम में हितग्राही की सीमा तक संस्था का चयन किया जायेगा. यदि संस्थाएं अधिक हैं तो प्राथमिकता क्रमवार लॉट के माध्यम से गैर शासकीय संस्थाओं का चयन किया जायेगा. लॉट, आवेदकों की उपस्थिति में कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में निकाला जायेगा.

2.8 चयनित संस्थाओं को पोर्टल के माध्यम से उस क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान से मैप किया जायेगा.

2.9 सभी पात्र हॉस्टल एवं कल्याणकारी संस्थाओं को जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में संस्थागत राशनकार्ड जारी किया जायेगा. प्रत्येक संस्था से ऐसे दो व्यक्ति के नाम (custodian) दर्ज किये जायेंगे जो संस्था के लिये बायोमीट्रिक से राशन प्राप्त करेंगे.

3.0 खाद्यान्न की पात्रता एवं संचालन की शर्तें:

3.1 राज्य शासन द्वारा कल्याणकारी खाद्यान्न योजना का लागत पत्रक प्रतिवर्ष जारी किया जायेगा. यह लागत पत्रक केन्द्रीय प्रदाय दर एवं राज्य एजेंसियों के व्यय को शामिल कर तैयार किया जायेगा.

3.2 राज्य शासन द्वारा लागत पत्रक के अनुसार खाद्यान्न का उठाव किया जायेगा.

3.3 चयनित संस्थाओं के प्रत्येक रहवासी को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की पात्रता होगी.

3.4 संस्थाओं द्वारा खाद्यान्न संबंधित उचित मूल्य की दुकान से कस्टोडियन की बायोमेट्रिक पहचान प्रमाणित कराते हुए संस्था द्वारा आवंटन उसी माह में उठाना होगा जिसके लिये वह जारी किया गया है.

3.5 जिला आपूर्ति अधिकारी एवं जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संयुक्त हस्ताक्षर से उपयोगिता प्रमाण पत्र कलेक्टर के माध्यम से आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण हेतु, आगामी माह के 5 तारीख तक अपलोड किया जायेगा.

3.6 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर जिले को आगामी माह का आवंटन नहीं दिया जायेगा.

3.7 संस्थायें खाद्यान्न प्रतिमाह की पहली तारीख से 20 तारीख के मध्य प्राप्त कर सकेंगी.

4.0 **निगरानी तंत्र :**

4.1 जिला कलेक्टर द्वारा संस्थाओं का रेण्डम आधार पर प्रत्येक माह औचक निरीक्षण कराया जायेगा जो निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाइन भरा जायेगा. निरीक्षण में पाई गई लाभार्थियों की उपस्थिति की संख्या के आधार पर अगले माह की कुल मात्रा का निर्धारण किया जायेगा.

4.2 प्रत्येक संस्थाओं को दी गई सामग्री के वितरण की निगरानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत गठित सतर्कता समितियों द्वारा नियमित रूप से अनिवार्यतः की जायेगी तथा इनका सामाजिक अंकेक्षण भी कराया जायेगा.

4.3 आवेदक संस्थाओं के चयन के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर उसका निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा.

4.4 संस्था के किसी अवैधानिक एवं असामाजिक कृत्यों में लिप्त होने अथवा अनियमितता किये जाने की शिकायत पर जांच में तथ्य सही पाये जाने पर संस्था को योजना के लाभ से वंचित किया जायेगा तथा साथ ही अन्य विधिक कार्यवाहियां की जायेगी.

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.